(iii) it will take necessary steps for promotion of marketing activities by way of grant of equipment, loans and advances to fishermen and their organisations, and

(iv) it may also undertake foreign collaborations for catching, processing and export of fish, manufacture of marine engines, trawlers and other fishing equipment

(c) The Corporation may undertake fishing operations in the entire coastal areas either independently or in collaboration with State Governments and other parties.

(d) The authorised capital of the Corporation is Rs. 5 crores and the present issued capital is Rs. 60 lakhs.

**केन्द्रीय सहकारी भण्डार, दिल्ली**

*12. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला, गुड़ तथ लोहे के बारे में दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार द्वारा की गई अनियमितताओं से सम्बन्धित ऐसे कितने मामले है जिनके बारे में जांच पूरी हो गई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या भण्डार अब भी कार्य कर रहा है तथा इसके पुराने कर्मचारिवृन्द को रख लिया गया है; और

(ग) क्या इस भंडार के बारे में कोई और शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) ऐसे तीन मामले हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(1) अनधिकृत स्थान में गुड़ और खांडसारी का भण्डार तथा बिक्री और सिविल रसद निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली को पाक्षिक विवरण न भेजना ;

(2) लोहे तथा इस्पात की अवैध बिक्री, दिल्ली राज्य लाइसेंस प्राधिकारी को मिथ्या विवरण भेजना तथा मासिक विवरण न भेजना; और

(3) खास जयरामपुर कोयला खान तथा भण्डार के कर्मचारियों के विरुद्ध "सब-स्टेंडर्ड' कोयला खरीदने तथा बेचने के बारे में आपराधिक षड़यन्त्र के आरोप।

पहले दो मामलों में पुलिस जांच पूरी होने पर कानूनी कार्यवाही शुरू की गई थी और ये मामले न्यायाधीन है। तीसरे मामले में कानूनी कार्यवाही सम्भव नहीं थी।

(ख) भण्डार अब भी कार्य कर रहा है।

पुराने 70 कर्मचारियों में से, 8 अब भी काम कर रहे हैं।

(ग) कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**खंड विकास अधिकारी के पद का समाप्त किया जाना**

*13. **श्री किशन पटनायक :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री जागड़ी :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामसेवक यादव :
श्री उदिया:
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दे० जी० नायक :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दे० व० पुरी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मा० ज० जाधव :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंड विकास अधिकारी के पद को समाप्त करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को क्या अनुभव हुआ है ;

(ख) क्या इस बारे में केन्द्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोई और पत्र-व्यवहार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो अब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के इस निर्णय से किस हद तक सहमत हो गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) राज्य सरकार ने पहली जनवरी, 1966 से खण्ड विकास अधिकारियों के पद समाप्त कर दिए है, किन्तु विस्तार अधिकारी (कृषि) को खण्ड का कार्यभारी बना दिया है और उसे आहरण तथा वितरण अधिकारी घोषित कर दिया है । उप-मंडल अधिकारी (राजस्व) को उसके क्षेत्राधिकार के खण्डों का सर्वकार्यभारी बनाया गया है। विस्तृत प्रबन्धों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय सरकार ने राज्य के निर्णय के बारे में अपनी सहमति नहीं दी है । इस मामले पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

**Election Expenses**

*14. **Shri Lahtan Chaudhry:**
**Shri Rameshwar Tantia:**
**Shri Himatsingka:**
**Shri Bhanu Prakash Singh:**
**Shri Bagri:**
**Dr. Ram Manohar Lohia:**
**Shri Ram Sewak Yadav:**
**Shri Kishen Pattnayak:**
**Shri Vishram Prasad:**
**Shri Narayan Reddy:**
**Shri Yashpal Singh:**
**Shri Madhu Limaye:**
**Shri Vishwa Nath Pandey:**
**Shrimati Ramdulari Sinha:**

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Election Commission has finalised proposals on curbs on election expenses;

(b) if so, the broad details thereof;

(c) whether these proposals have been accepted by Government; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Law (Shri G. S. Pathak):** (a) and (b). Yes, Sir; the principal proposals of the Election Commission on election expenses